

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें

क्रमांक: राजहैल्थ/टी.सी./27628/2024/254

दिनांक: 22/05/2024

--:आदेश:-

श्री कर्मचन्द शर्मा, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के विरुद्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड तृतीय जयपुर के उप खण्ड कार्यालय गांधीनगर में स्टाफ के साथ अभद्रता, गाली गलौच एवं कार्यालय में तोड़ फोड़ तथा राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने संबंधी मामले में प्रथमिक जांच प्रस्तावित है। जांच प्रभावित नहीं हो के दृष्टिगत श्री कर्मचन्द शर्मा, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी को आदेशों की प्रतिकारत मुख्यालय निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक: राजहैल्थ/टी.सी./27628/2024/254

दिनांक: 22/05/2024

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
6. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
7. श्री कर्मचन्द शर्मा, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी को द्वारा नियंत्रण अधिकारी पालनार्थ।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7298768

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :22-05-2024 10:13:41